

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, भोपाल

क्रमांक 199 / 19 / आउशि / छा / 2019
प्रति,

भोपाल दिनांक 8/2/19

प्राचार्य
शास. रामानन्द संस्कृत महाविद्यालय लालाघाटी
भोपाल (म0प्र0)

विषय:—एकीकृत संस्कृत छात्रवृत्ति के अन्तर्गत आचार्य / पूर्व मध्यमा / उत्तर मध्यमा / शास्त्री छात्रवृत्ति के सत्र 2018-19 की नवीनीकरण की राशि का आवंटन में स्वीकृत करने बाबत ।

संदर्भ:— क्षेत्रीय अति. संचालक उच्च शिक्षा भोपाल होशंगाबाद संभाग भोपाल का पत्र
क्रमांक 165 / अस / छा. / 19 दि० 30.1.19

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र के माध्यम से एकीकृत संस्कृत छात्रवृत्ति के अन्तर्गत आचार्य / पूर्व मध्यमा / उत्तर मध्यमा / शास्त्री छात्रवृत्ति के नवीनीकरण हेतु राशि रूपये 78,000 /—की मांग की है ।

2. अतः आचार्य के लिये राशि रूपये 3,000 /— (रूपये तीन हजार मात्र) पूर्व मध्यमा द्वितीय के लिये राशि रूपये 27,000 /— (रूपये सत्ताइस हजार मात्र) उत्तर मध्यमा द्वितीय के लिये राशि रूपये 30,000 /— (रूपये तीस हजार मात्र) शास्त्री द्वितीय एवं पंचम सेमिस्टर के लिये राशि रूपये 18,000 /— (अट्तरह हजार मात्र) कुल योग राशि रूपये 78,000 /— (रूपये अट्तरह हजार मात्र) की स्वीकृती प्रदान की जाती है। वर्ष 2018-2019 में नवीनीकरण के लिये राशि निम्नलिखित शीर्ष में विकलनीय होगी :


क्र	आहरण संवितरण अधिकारी प्राचार्य	लेखा शीर्ष	आवंटित राशि सत्र 2017-18
1.	प्राचार्य शास. रामानन्द संस्कृत महावि. लालाघाटी भोपाल (म0प्र0)	मॉग संख्या 44—उच्च शिक्षा 2202 सामान्य शिक्षा (03) विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा (107) छात्रवृत्तियाँ -0103 (9013) योग्यता छात्रवृत्तियाँ (41) छात्रवृत्तियाँ एवं वृत्तियाँ-002	आचार्य 3,000 /— पूर्व मध्यमा प्रथम 27,000 /— उत्तर मध्यमा प्रथम 30,000 /— शास्त्री 18,000 /—
कुल योग			78,000 /—

(रूपये अट्तरह हजार मात्र)

निरंतर—2

//2//


उक्त स्वीकृति राशि संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी प्राचार्य, शासकीय रामानन्द संस्कृत महाविद्यालय लालघाटी भोपाल (म0प्र0) द्वारा छात्रवृत्ति के देयक कोषालय में प्रस्तुत कर आहरित करेंगे । क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा भोपाल होशंगाबाद संभाग भोपाल एवं उक्त संबंधित प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा समय समय पर जारी आदेश/निर्देश के अनुक्रम में भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, अधिक भुगतान की स्थिति में संबंधित अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे । विद्यार्थी को छात्रवृत्ति के भुगतान के पूर्व उनके बैंक खातों की आधार सीडिंग की कार्यवाही किया जाना अनिवार्य है


(डॉ० सुषमा दुबे)
संचालक(वित्त)
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश
भोपाल दिनांक २१/१२/१९

पृष्ठांकन क्र. २००/१९/आउशि/छा/२०१९

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर म.प्र.।
2. कुल सचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत ।
3. कोषालय अधिकारी, संबंधित कोषालय मध्यप्रदेश ।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा भोपाल होशंगाबाद संभाग भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक १६५/अस/छा./१९ दि० ३०.१.१९ के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।
4. संचालक (बजट) उच्च शिक्षा संचालनालय, की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उपर्युक्त राशियों को उक्त तालिका के कालम २ में उल्लेखित प्राचार्य शासकीय रामानन्द संस्कृत महाविद्यालय लालघाटी भोपाल, म.प्र. के खाते में राशि अपलोड कराने का कष्ट करें ।
5. प्रभारी कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, की ओर इस आशय से कि कृपया आदेश बैबसाईट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित ।


संचालक(वित्त)
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश